संख्या-120 /2019/3974/30-3-19-10बी/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 15 अक्टूबर, 2019

विषय :- संभागीय परिवहन कार्यालय कानपुर के भवन निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर से क्रय की गयी भूमि की अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2098ए/2019-96ए/2013, दिनॉक 20 सितम्बर, 2019 के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू० 500.00 लाख में से संभागीय परिवहन कार्यालय कानपुर के भवन हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर से क्रय की गयी भूमि की रजिस्ट्री कराने हेतु बढ़ी हुयी भूमि के अंतर की धनराशि रू० 12,298/- तथा निबंधन शुल्क हेतु धनराशि रू० 20,000/- अर्थात कुल धनराशि रू० 32,298/- (रू० बत्तीस हजार दो सौ अठ्ठानबे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) भूमि की दरें एवं तत्क्रम में मूल्य का वेलिडेशन जिलाधिकारी/विकास प्राधिकरण आदि सक्षम स्तर से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-19-संभागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर में भूमि का व्यय/भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह०/-
(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-120/2019/3974(1)/30-3-2019, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।